



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 8, 2017/ज्येष्ठ 18, 1939

No. 235]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 8, 2017/JYAISTHA 18, 1939

Hkkj rh; vk; foKku i fj "kn-

I d kks/ku vf/kl ipuk

नई दिल्ली, 5 जून, 2017

I a % Hkk-vk-i -&12%1%@2017&efM-@115698.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में पुनः संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः

- (i) इन विनियमों को "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 2017" कहा जाएगा।  
(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में निम्नलिखित अभिवर्धन/आशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन इसमें दर्शाए गए अनुसार होंगे:
- अनुसूची I में, खंड 6 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"किसी मेडिकल कॉलेज या संस्थान में कुल 8 वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाले अध्यापकों को सामान्य विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर अध्यापकों के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिसमें से कम से कम 4 वर्ष का अध्यापन अनुभव, स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् सूचीबद्ध जर्नलों में दो अनुसंधान प्रकाशनों के साथ सहायक प्रोफेसर के रूप में प्राप्त किया गया अनुभव हो।

अति विशेषज्ञताओं के मामले में, केवल उन्हीं अध्यापकों को स्नातकोत्तर अध्यापकों के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिनके पास 6 वर्ष का अध्यापन अनुभव हो, जिसमें से दो वर्ष का अध्यापन अनुभव, उच्चतर विशेषज्ञता डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् सहायक प्रोफेसर के रूप में प्राप्त किया गया अध्यापन अनुभव हो।"

## I ब्रॉड विशेषज्ञताएं (एमडी/एमएस)

in	vdknfed 'kʃ{k d ; kʃ; rk	v/; ki u , oa vuq ʃkku vuʃko
प्रोफेसर/ अपर प्रोफेसर (स्नातकोत्तर डिग्री के पश्चात् 8 वर्ष का अनुभव)	संबंधित विषय में और टीईक्यू विनियमावली के अनुसार स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता एमडी/एमएस	प्रथम लेखक के रूप में या तदनुरूपी लेखक के रूप में, एसोसिएट प्रोफेसर के कार्यकाल के दौरान न्यूनतम 2 अनुसंधान प्रकाशनों के साथ संचयी आधार पर सूचीबद्ध जर्नल में 4 अनुसंधान प्रकाशनों के साथ किसी अनुमति प्राप्त/अनुमोदित/मान्यताप्राप्त मेडिकल कॉलेज/संस्थान में 3 वर्ष के लिए विषय में एसोसिएट प्रोफेसर।
एसोसिएट प्रोफेसर (स्नातकोत्तर डिग्री के पश्चात् 5 वर्ष का अनुभव)	संबंधित विषय में और टीईक्यू विनियमावली के अनुसार स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता एमडी/एमएस	प्रथम लेखक के रूप में या तदनुरूपी लेखक के रूप में सूचीबद्ध जर्नलों में 2 अनुसंधान प्रकाशनों के साथ किसी अनुमति प्राप्त/अनुमोदित/मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/संस्थान में 4 वर्ष के लिए विषय में सहायक प्रोफेसर के रूप में।
सहायक प्रोफेसर	संबंधित विषय में और टीईक्यू विनियमावली के अनुसार स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता एमडी/एमएस	संबंधित विषय में किसी मान्यताप्राप्त मेडिकल कॉलेज में तीन वर्ष कनिष्ठ रेजिडेंट के रूप में और किसी मान्यताप्राप्त मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में एक वर्ष वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में।
वरिष्ठ रेजिडेंट (ब्रॉड विशेषज्ञता)		
वरिष्ठ रेजिडेंट	वरिष्ठ रेजिडेंट वह है, जो स्नातकोत्तर डिग्री (एमडी/एमएस) प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित स्नातकोत्तर विषय में अपनी रेजिडेंसी कर रहा है और 40 वर्ष से कम आयु का है।	

## II अति विशेषज्ञता (डीएम/एमसीएच)

In	vdknfed 'kʃ{k d ; kʃ; rk	v/; ki u , oa vuq ʃkku vuʃko
प्रोफेसर/ अपर प्रोफेसर (अति विशेषज्ञता के पश्चात् 5 वर्ष का अनुभव)	संबंधित विषय में और टीईक्यू विनियमावली के अनुसार डीएम/एमसीएच में अति विशेषज्ञता स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता।	प्रथम लेखक के रूप में या तदनुरूपी लेखक के रूप में, एसोसिएट प्रोफेसर के कार्यकाल के दौरान न्यूनतम 2 अनुसंधान प्रकाशनों के साथ संचयी आधार पर सूचीबद्ध जर्नल में 4 अनुसंधान प्रकाशनों के साथ किसी अनुमति प्राप्त/अनुमोदित/मान्यताप्राप्त मेडिकल कॉलेज/संस्थान में 3 वर्ष के लिए विषय में एसोसिएट प्रोफेसर।

एसोसिएट प्रोफेसर (अति विशेषज्ञता के पश्चात् 2 वर्ष का अनुभव)	संबंधित विषय में और टीईक्यू विनियमावली के अनुसार डीएम/एमसीएच में अति विशेषज्ञता स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता।	प्रथम लेखक के रूप में या तदनुरूपी लेखक के रूप में सूचीबद्ध जर्नलों में 2 अनुसंधान प्रकाशनों के साथ किसी अनुमतिप्राप्त/ अनुमोदित/मान्यताप्राप्त मेडिकल कॉलेज/ संस्थान में 2 वर्ष के लिए विषय में सहायक प्रोफेसर के रूप में।
सहायक प्रोफेसर	संबंधित विषय में और टीईक्यू विनियमावली के अनुसार डीएम/एमसीएच में अति विशेषज्ञता स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता।	
वरिष्ठ रेजिडेंट (अति विशेषज्ञता)		
वरिष्ठ रेजिडेंट	संबंधित विषय में एमसीएच/डीएम के लिए पंजीकृत।	

डॉ. रीना नय्यर, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन- III / 4 / असाधारण / 101 / 17]

प्रधान विनियमावली, नामतः "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की अधिसूचना के अंतर्गत 05 दिसंबर, 1998 को भारत के राजपत्र के भाग-III खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और दिनांक 16.03.2005, 21.07.2009, 28.10.2009, 15.12.2009, 03.11.2010, 04.11.2010, 08.07.2011, 11.06.2012, 06.08.2012, 20.04.2015 और 11.03.2017 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित की गई थी।

### MEDICAL COUNCIL OF INDIA AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2017

**No. MCI-12(1)/2017-Med.Misc./115698.**—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", namely:—

- 1 (i) These Regulations may be called the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2017."
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", the following **additions/modifications/deletions/substitutions**, shall be, as indicated therein:—

3. In Schedule 1, Clause 6 shall be substituted as :-

*“The teachers in a medical college or institution having a total of 8 years teaching experience out of which at least 4 years teaching experience as Assistant Professor with two research publication in indexed journals gained after obtaining postgraduate degree shall be recognized post graduate teacher in broad specialties.*

*In case of super specialties only those teachers who possess 6 years teaching experience out of which at least 2 years teaching experience as Assistant Professor gained after obtaining the higher specialty degree shall be recognized post graduate teacher.”*

#### I. Broad Specialties (MD/MS)

Posts	Aca. Qual.	Teaching & Research Exp.
Professor/Addl. Professor (8 year of Post PG Experience)	A post graduate qualification MD/MS in the concerned subject and as per the TEQ Regulation	Associate Professor in the subject for 3 years in a permitted/approved/recognized medical college/institution with 4 Research Publications in Indexed Journal on Cumulative basis with minimum of 2 Research Publication during the tenure of Associate Professor as Ist Author or as corresponding author.
Associate Professor (5 year Post PG experience)	A post graduate qualification MD/MS in the concerned subject and as per TEQ Regulation.	As Assistant Professor in the subject for 4 years in a permitted/approved/recognized medical college/institution with 2 Research Publication in Indexed Journals as Ist Author or as corresponding author.
Assistant Professor	A post graduate qualification MD/MS in the concerned subject and as per the TEQ Regulations.	3 years Junior Resident in a recognized medical college in the concerned subject and one year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized medical college.

#### Senior Resident (Broad Specialties)

Senior Resident	Senior Resident is one who is doing his/her residency in the concerned post graduate subject after obtaining PG degree (MD/MS) and is below 40 years of age.
-----------------	--

#### II. Super Specialty (DM/M.Ch.)

Posts	Academic Qualifications	Teaching & Research Exp.
Professor/Addl. Professor (5 year of Post Super Specialty experience)	A super specialty post graduate qualification in DM/M.Ch. in the concerned subject and as per the TEQ Regulation	Associate Professor in the subject for 3 years in a permitted/approved/recognized medical college/institutions with 4 Research Publications in Indexed Journal on cumulative basis with minimum of 2 Research publication during the tenure of Associate Professor as Ist Author or as corresponding author.
Associate Professor/(2 years of Post Super Specialty	A super speciality post graduate qualification in DM/M.Ch. in the concerned subject and as	As Assistant Professor in the subject for 2 years in a permitted/approved/recognized medical college/institution with 2 Research Publication in

experience)	per the TEQ Regulation.	Indexed Journals as Ist Author or as corresponding author.
Asst. Professor	A super speciality post graduate qualification in DM/M.Ch. in the concerned subject and as per the TEQ Regulation.	

## Senior Resident (Super Speciality)

Senior Resident	Registered for M.Ch./DM in the concerned subject	
-----------------	--	--

Dr. REENA NAYYAR, Secy. (I/C)

[ADVT.-III/4/Exty./101/17]

**Foot Note :** The Principal Regulations namely, “Minimum qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998” were published in Part-III, Section (4) of the Gazette of India on the 5th December, 1998, and amended vide MCI notifications dated 16.3.2005, 21.7.2009, 28.10.2009, 15.12.2009, 3.11.2010, 4.11.2010, 8.7.2011, 11<sup>th</sup> June, 2012, 6<sup>th</sup> August, 2012, 20.4.2015 & 11.03.2017.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL  
Date: 2017.06.10 17:29:40 +05'30'